**भारत सरकार** **लोक सभा**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **तारांकित प्रश्न सं. *243**

**दिनांक 10 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए**

मसाला बोर्ड की एक शाखा की स्थापना

***243. श्री के॰ नवासखनी:**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु में परमकुड़ी में मिर्च और काली मिर्च के बड़ी मात्रा में उत्पादन के दृष्टिगत परमकुड़ी में मसाला बोर्ड की एक शाखा की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

(क) से (ग): सदन के पटल पर एक विवरण रखा गया है।

*****

**"'मसाला बोर्ड की एक शाखा की स्थापना" के संबंध में 10 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. *243 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) और (ख) : तमिलनाडु में परमकुडी में मसाला बोर्ड की एक शाखा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग): मसाला बोर्ड मसालों के निर्यात के विकास के लिए और इलायची की खेती और उससे संबंधित मामलों के नियंत्रण सहित इलायची उद्योग के नियंत्रण के लिए मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित एक सांविधिक संगठन है। इलायची के अलावा मसालों के उत्पादन, विकास, अनुसंधान और घरेलू विपणन का अधिदेश राज्य कृषि/बागवानी विभागों और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पास है।

वर्तमान में, मसाला बोर्ड के तीन क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई , बोदिनायकनूर और इरोड में हैं। तमिलनाडु राज्य में चेन्नई, थूथुकुडी में दो गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ और शिवगंगा में मसाला पार्क कार्य कर रहे हैं। बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालय इरोड में मसाला विकास एजेंसी की भी स्थापना की है। बोर्ड के कार्यालय सलेम, नागरकोइल और थाडियंकुडिसई में भी कार्य कर रहे हैं। बोर्ड ने थाडियंकुडिसई में भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई) के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और बोडीनायकनुर में इलायची के लिए एक ई-नीलामी केंद्र की भी स्थापना की है । बोर्ड इन कार्यालयों के माध्यम से परमकुडी क्षेत्र सहित तमिलनाडु राज्य में अपने विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रहा है । इसलिए, तमिलनाडु में परमकुडी में मसाला बोर्ड की एक शाखा की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

****